

FORM NO.111

फर्द अहकाम
(नियम 28)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

नेमीचन्द वगै० बनाम कैलाश चन्द वगै०

किस्म मुकदमा:- दावा

मुकदमा नम्बर:- 1 / 2021

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुये


31.12.2020

वादी की ओर से वकील श्री विक्रम सिंह बांकावत एड० ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकलें जारी की जावे। पत्रावली वास्ते देखने तामिल दिनांक 12.01.2021 को पेश हो।



04.01.2021

वकील वादी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली तारीख पेशी 12.01.2021 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण को आगे नहीं चलाकर वाद पत्र को विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अतः वकील वादी के निवेदन पर वाद पत्र को विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर(सीकर)

